



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1918]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2014/भाद्र 27, 1936

No. 1918]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2014/BHADRA 27, 1936

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2440(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2594(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित राशोंवाल कंरती है। अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, टिप्पणियों के अधीन विद्यमान पैरा 4 :—

4. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थान के पथकर प्लाजा पर विनिर्दिष्ट लंबाई के लिए किया जाएगा :

| | |
|---|---|
| पथकर प्लाजा का अवस्थान | लम्बाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेश है |
| राष्ट्रीय राजमार्ग सं.— 6 पर 42.00 किमी | सेवान की 80.90 किमी लम्बाई और 7.30 किमी बारागढ़ बाइपास, जिसकी प्राककलित लागत 74.00 करोड़ रुपए है। |

निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

4. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थान के पथकर प्लाजा पर विनिर्दिष्ट लंबाई के लिए किया जाएगा :

| | |
|---|---|
| पथकर प्लाजा का अवस्थान | लम्बाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेश है |
| राष्ट्रीय राजमार्ग सं.— 6 का 41.00 किमी | सेवान की 80.90 किमी लम्बाई और 7.30 किमी बारागढ़ बाइपास, जिसकी प्राककलित लागत 74.00 करोड़ रुपए है। |

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 5 :—

5. फीस के सदाय से छूट, अतिभराई वाहनों के लिए फीस की दरें, दरों में छूट उक्त नियमों के अनुसार होंगी।

निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

5. फीस के संदाय से छूट, अतिभराईयुक्त वाहनों के लिए फीस की दरें, दरों में छूट आदि उक्त नियमों और अतिभराईयुक्त वाहनों से संबंधित खण्ड हेतु साकानि. 778(अ), तारीख 16.12.2013 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार होंगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/622/11-12/सीओ/जीरी सम्बलपुर-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा (0-88) बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2440(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 2594(E), dated 17th November, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, under the Notes the existing para 4:-

4. The fee shall be collected at the following location of Toll Plaza for the length specified:

| Location of Toll Plaza | Length (in km) for which Fee payable |
|------------------------------------|--|
| Km 42.00 of National Highway No.—6 | For 80.90 Kms length of the section and for 7.30 Kms of Baragarh bypass, the estimated cost of which is rupees 74.00 Crores. |

Shall be substituted as:-

4. The fee shall be collected at the following location of Toll Plaza for the length specified :

| Location of Toll Plaza | Length (in km) for which Fee payable |
|------------------------------------|--|
| Km 41.00 of National Highway No.—6 | For 80.90 Kms length of the section and for 7.30 Kms of Baragarh bypass, the estimated cost of which is rupees 74.00 Crores. |

In the said notification, existing para 5:-

5. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc. shall be in accordance with the said rules.

Shall be substituted as:-

5. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc. shall be in accordance with the said rules and its amendment *vide* G.S.R.778(E) dated 16.12.2013 for the clause regarding overloaded vehicles.

[F. No. NHAI/13013/622/11-12/CO/GC Sambalpur-Orissa/Chhattisgarh Border (0-88) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2011/कार्तिक 27, 1933

No. 2177]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2011/KARTIKA 27, 1933

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2011

का.आ. 2594(अ)—केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1035 (अ) तारीख 7 मई 2010 द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 0.00 कि.मी. से 88.00 कि.मी. (समभलपुर - बारागढ़ - उड़ीसा / छत्तीसगढ़ सीमा सेक्षण) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के 0.000 कि.मी. से 88.000 कि.मी. (समभलपुर - बारागढ़ - उड़ीसा / छत्तीसगढ़ सीमा सेक्षण) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्षण कहा गया है) तक के खंड को चार लेन का बनाने आवश्यकता है कि उक्त सेक्षण के उपयोग के लिए फीस सारणी I के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्षण के उपयोग के लिए फीस सारणी I और सारणी II में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी के यांत्रिक यारों पर सारणी I और सारणी II में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक उक्त फीस को उक्त नियम और उक्त रियायत करार के उपबंधों के अनुसार संग्रहण और प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्षण के उपयोग के लिए फीस सारणी I के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के यांत्रिक यारों पर सारणी I और सारणी II में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी के उपबंधों के अनुसार संग्रहण और प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी I

वर्ष 2007-08 के लिए उक्त सेवशन के उपयोग हेतु फीस की आधार दर

| क्रम सं. | यान का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति कि मी आधार फीस की दर (रुपये में) |
|----------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान | 0.65 |
| 2. | हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस | 1.05 |
| 3. | बस या ट्रक | 2.20 |
| 4. | भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (तीन से छह धुरी) | 3.45 |
| 5. | अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी) | 4.20 |

सारणी II

पचास करोड़ रुपये से अधिक की लागत की संरचना जो उक्त सेवशन का एक भाग है, के उपयोग के लिए वर्ष 2007-08 के लिए आधार फीस की दर

| फीस की आधार दर (रुपए, प्रति यान प्रति एक ओर फेरा) | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|---|---------------------|
| स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत (रु० करोड़ में) | कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान | हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस | ट्रक या बस | भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान | विशाल आकार वाले यान |
| 10 से 15 | 5 | 7.50 | 15 | 22 | 30 |
| प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक | 1 | 1.50 | 3 | 4.50 | 6 |

टिप्पणी :

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-

- (i) "वास्तविक फीस" से उक्त सेवशन के सङ्क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है -
- (क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई ;

- (x) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस दरों सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।
- (ii) 'वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त करार के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
- (iii) 'समाप्ति की तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकारी और रियायतग्राही के बीच में किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।
- (iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो कि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच में उक्त सेवन की बाबत हुए करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं ।
2. वर्ष 2007-08 के लिए स्थानीय व्यक्तिगत यातायात के लिए मासिक पास की दर 150 रुपये (एक सौ पचास रुपये) है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।
3. राजमार्ग सेवन पर बहुयात्राओं के लिए पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात् -

| संदेय रकम | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
|--|---|----------------------------|
| एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास या उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई | पचास या उससे अधिक | संदाय की तारीख से एक मास |

4. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थान के पथकर प्लाजा पर विनिर्दिष्ट लम्बाई के लिए किया जायेगा :

| क्रम सं. | पथकर - प्लाजा का अवस्थान | लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है |
|----------|--|---|
| 1. | राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर 42.00 कि.मी. | सेवन की 80.90 कि.मी लम्बाई और 7.30 कि.मी बारागढ़ बाईपास, जिसकी प्राक्कलित लागत 74.00 करोड़ रुपये है । |

5. फीस के संदाय से छूट, अतिभराई वाहनों के लिए फीस की दरें, दरों में छूट उक्त नियमों के अनुसार होंगी ।

6. रियायतग्राही किसी व्यक्ति के अनुरोध पर 50 (पचास) या उससे अधिक एक तरफा टिकटों के लिए छूट प्राप्त दर जो यानों के उस प्रवर्ग के लिए संदेय फीस के दो तिहाई के बराबर होगी, ऐसे टिकट जारी करेगा जो एक मास की अवधि के लिए विधि मान्य होंगे।
7. कोई पुनरीक्षण फीस के पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भारतप्रा/13013/622/11-12/सी.ओ./जीसी-समबालपुर-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ बोर्डर (0-88)बी.ओ.टी.]
बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2011

S.O. 2594(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number SO 1035 (E) dated the 7th May, 2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, entrusted the stretch from Km 0.00 – Km 88.00 (Sambhalpur – Baragarh – Orissa/ Chhattisgarh border section) of National Highway No 6 in the State of Orissa to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Ashoka Sambalpur Baragarh Tollway Private Limited, having its registered office at Ashoka House, Ashoka Marg, Nasik, 422011 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for development, operation and maintenance to four lane section from Km 0.000 to Km 88.000 (Sambhalpur – Baragarh – Orissa/ Chhattisgarh Border section) of the National Highway No. 6 in the State of Orissa (hereinafter referred to as the said section) on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956, read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on type of mechanical vehicles specified in column(2) of the Table I, for the use of said section at the base rate specified in Tables I and Table II thereof, and authorises the said concessionaire to collect and retain the fee subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the said Concession Agreement on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:—

TABLE I

Base rate of fees for the use of the said section for the Year 2007-08

| Sl. No. | Type of Vehicle. | Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (In rupees) |
|------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle. | 0.65 |
| 2. | Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus. | 1.05 |
| 3. | Bus or Truck. | 2.20 |
| 4. | Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (three to six axles) | 3.45 |
| 5 | Oversized Vehicles. (seven or more axles) | 4.20 |

TABLE II

Base Rate of fee, for the use of the structure, costing more than rupees fifty Crores
and forming part of the said section, for the year 2007 -08

| Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip) | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Cost of permanent bridge, bypass or tunnel (rupees in crores) | Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | Truck or Bus | HCM, EME or MAV | Oversized Vehi cle |
| 10 to 15 | 5 | 7.50 | 15 | 22 | 30 |
| For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores. | 1 | 1.50 | 3 | 4.50 | 6 |

42189711-2

Notes:-

1. For the purpose of this notification,—
 - (i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of—
 - (a) length of the project highway;
 - (b) base fee rates provided in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest Five rupee;
 - (ii) "date of commercial operation" means the date on which Completion Certificate or the Provisional Completion Certificate is issued in accordance with the said agreement;
 - (iii) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
 - (iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.
2. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 150.00 (One Hundred fifty Rupees) for the year 2007-08 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
|--|--|--|
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys | Fifty or more | One month from date of payment |

4. The fee shall be collected at the following location of Toll Plaza for the length specified:

| S. No. | Location of Toll Plaza. | Length (in km) for which Fee payable. |
|--------|--------------------------------------|--|
| 1 | Km 42.000 of National Highway No - 6 | For 80.90 Kms length of the section and for 7.30 Kms of Baragarh bypass, the estimated cost of which is rupees 74.00 Crores. |

5. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc shall be in accordance with the said rules.

6. Upon request from any person for issue of 50 (fifty) or more one way tickets, the concessionaire shall issue such tickets valid for a period of one month, at a discounted rate equivalent to two – third of the fee payable for that category of vehicles.
7. No revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/622/11-12/CO/GC-Sambalpur-Orissa/Chhatisgarh Border (0-88)BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director